



भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)

डाकघर नं. ८८, देहरादून - 248006 (उत्तराखण्ड)

रां ०४ / क्रय विभाग / मीडिया / प्रशासन / भारतीय अनुसंधान परिषद् / २०१७-१८ / वानिकी समाचार

दिनांक २५ जुलाई 2017

सेवा में,

विषय: हिन्दी वानिकी समाचार के वर्ष ९ अंक १ के मुद्रण के लिये मोहरबन्द निविदा आमंत्रित हेतु।

महोदय,

“हिन्दी वानिकी समाचार” के वर्ष ९ अंक १ के मुद्रण सुविधा प्राप्त करने के लिये नवीनतम कंप्यूटर आधारित मुद्रण प्रणाली द्वारा मुद्रित करने के लिये प्रतिष्ठित मुद्रकों से मोहरबन्द निविदा आमंत्रित किये जाते हैं। हिन्दी वानिकी समाचार की 1000 प्रतियां मुद्रित की जानी हैं। प्रतियों का गुद्रण निम्नलिखित विशिष्टताओं के साथ होना चाहिए।

१	आकार	A 4 रग्नी
२	पृष्ठ संख्या	८ पृष्ठ
३	कागज	130 GSM आयातित गैट पेपर
४	राधन (गुद्रण)	बहुरंगी (५ रंग)
५	बाईचिंडिंग	केन्द्र स्टिच
६	मात्रा	1000 प्रतियां

निविदा क्रय अधिकारी, भारतीय अनुसंधान परिषद्, देहरादून के कमरा संख्या 105 पर जमा होगे। निविदा के प्रस्तुत करने का अन्तिम समय दिनांक ८ अगस्त 2017, साय 3:00 बजे तक है।

(डा. अनिल नेगी)
क्रय अधिकारी (प्रशासन)

प्रति:-

- सहारो महानिदेशक (मीडिया एवं विस्तार), भारतीय अनुसंधान परिषद्, देहरादून
- प्रमुख, सूचीप्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय अनुसंधान परिषद्, देहरादून

नियम एवं शर्तें

1. मुद्रक को सहायक महानिदेशक (प्रकाशन एवं विस्तार), भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून से पाण्डुलिपियां लेने होंगे और प्रेस प्रूफ तथा मुद्रित सामग्री, सहायक महानिदेशक (प्रकाशन एवं विस्तार) को देनी होगी ।
2. कार्य आदेश मिलने के तीन दिन के भीतर मुद्रक को मुद्रित सामग्री प्रस्तुत करनी होगी भले ही प्रेस प्रूफ की संख्या अधिक क्यों न हो । सहायक महानिदेशक, (प्रकाशन एवं विस्तार) को किसी भी स्तर पर पाण्डुलिपि तथा उपरोक्त मुद्रण अवधि में परिवर्तन करने का अधिकार होगा ।
- 2.1 प्रत्येक प्रेस प्रूफ मुद्रक द्वारा अपने स्तर पर सभी संशोधनों/परिवर्तनों का लग जाना सुनिश्चित करने के उपरांत 2 कार्य दिवसों के भीतर स.म.नि (मीडिया एवं विस्तार) कार्यालय में कार्यसमय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और ऐसा न होने पर प्रतिदिन के हिसाब से रूपये 200/- जुर्माना देना होगा ।
- 2.2 अन्तिम प्रेस प्रूफ अनुमोदित होने पर 3 कार्य दिवसों के अन्दर मुद्रित च्यूजलैटर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा और ऐसा न होने पर प्रतिदिन के हिसाब से रूपये 200/- जुर्माना देना होगा ।
3. अनुमोदित दरों में सभी कर शामिल होंगे ।
4. रवीकृत दरें कार्य आदेश जारी करने के एक साल बाद तक मान्य रहेंगी और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को दरों में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा ।
5. विषय-वस्तु तथा कलर रलाईड्स सहायक महानिदेशक, (प्रकाशन एवं विस्तार) के द्वारा मुहैया कराया जायेगा ।
6. अन्तिम मुद्रण से पूर्व रंगीन प्रेस-प्रूफ (कलर डगी) सहायक महानिदेशक, (प्रकाशन एवं विस्तार) द्वारा अनुमोदित करवाना होगा ।
7. गलत, कम तथा असंबद्ध सामग्री की आपूर्ति होने पर सामग्री की प्रतिपूर्ति का उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ता पर होगा ।
8. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद वानिकी समाचार की अन्तिम भुगतान राशी, पृष्ठों की संख्या के आधार पर दी जायेगी क्योंकि पृष्ठों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।
9. कार्य पूर्ण होने पर बिल की रकम प्राप्त करने से पहले मूल फोटोग्राफस आदि सहायक महानिदेशक, (प्रकाशन एवं विस्तार) को वापस करने होंगे ।
10. अपूर्ण मात्रा या निम्न गुणवत्ता की आपूर्ति करने पर पुनः मुद्रित कर आपूर्ति करना होगा अथवा यथोचित जुर्माना तथा विलम्ब हेतु उपर्युक्त क्र.सं. 2 में उल्लिखित बिंदु 2.2 के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लिया जायेगा ।

अनिल नेगी

(डा. अनिल नेगी)
क्रय अधिकारी (प्रशासा)

प्रपत्र

विषय: भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, हिन्दी वानिकी समाचार के मुद्रण के लिये मोहरबन्द निविदा आसंत्रण हेतु।

क्र0 स0	विशिष्टताएँ		प्रति दर	कुल योग
1	आकार	A4 रंगीन		अंको में ₹५०
2	पृष्ठ संख्या	8 पृष्ठ		शब्दों में ₹५०
3	कागज	130 GSM आयातित मैट पेपर	
4	राधन	बहुरंगी (4 रंग)	
5	बाइंडिंग	केन्द्र रिट्रॉ		..
6	गात्रा	1000 प्रतियाँ	

निविदा संख्या स0 04/क्रय विभाग/मीडिया/प्रशासा/भा०वा०३०४०१८/2017-18/वानिकी समाचार दिनांकजुलाई 2017 के पृष्ठ भाग में नियम एवं शर्तें मुझे खीकार है।

दिनांक

हस्ताक्षर ——————

नाम ——————

फर्म का नाम व पता मोहर सहित ——————

फोन न0 ——————

मेबाइल न0 ——————

